भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1443
बुधवार, 02 अगस्त, 2023 (श्रावण 11,1945(शक)) को उत्तरार्थ

सहकार 22 के तहत एफपीओ का गठन

1443. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकार 22 के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन को सुकर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, सरकार एफपीओ के लिए पंजीकरण और कानूनी अनुपालन प्रक्रियाओं में किस प्रकार सहायता प्रदान करती है;

(ख) क्या एफपीओ के लिए बाजार पहुंच और बाजार बुद्धिमत्ता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, और क्या एफपीओ को उनकी उपज के मूल्यवर्धन, प्रचार और विपणन में सहायता प्रदान करने के लिए कोई पहल की गई है; और

(ग) क्या सरकार सहकार 22 की प्रगति और परिणामों की निगरानी करती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, क्या योजना की प्रभावकारिता और प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री

(श्री अमित शाह)

(क): "सहकार से समृद्धि" की संकल्पना को पूरा करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने, विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी से, देश भर में सहकारी क्षेत्र के पुनरुत्थान तथा सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जो कि अनुबंध 1 में वर्णित हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जो "10,000 किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन" नामक केंद्रीय क्षेत्रक योजना की एक कार्यान्वयन एजेंसी है। एनसीडीसी ने 30 जून 2023 तक, 610 नए एफपीओ को पंजीकृत किया है। सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा एनसीडीसी को अतिरिक्त 1,100 एफपीओ का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिससे अब, एनसीडीसी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को योजना के तहत नए एफपीओ बनाने में सक्षम हो गई है।

एनसीडीसी क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से पंजीकरण और कानूनी अनुपालन प्रक्रियाओं के लिए एफपीओ का समर्थन और मार्गदर्शन भी कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, पूर्व में एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2022 तक नए भारत के मिशन को साकार करने के लिए सहकार - 22 नामक पहल शुरू की थी।

एनसीडीसी की सहकार -22 में निम्नलिखित पहलें शामिल थी:

• फोकस 222 - 222 जिलों में सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी की केंद्रित सहायता (नीति आयोग द्वारा पहचाने गए 117 आकांक्षी जिलों सहित);
• पैक्स हब - पैक्स और अन्य सहकारी समितियों का 'अपना किसान संसाधन केंद्र' के रूप में परिवर्तन;
• एईएनईसी – एक्ट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कोऑपरेटिव्स;
• सीईएमटीसी - सहकारी समितियों के माध्यम से बाजार में उत्कृष्टता केंद्र;
• सहकार प्रज्ञा – लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान विकास अकादमी (लिनाक) के माध्यम से क्षमता विकास।

(ख): जी हाँ मान्यवर, एफपीओ योजना के तहत चयनित क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) द्वारा एफपीओ को बाजार लिंकेज, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और उपज के विपणन आदि में एनसीडीसी द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। एनसीडीसी देश भर में अपने 18 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से योजना के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

(ग): भारत सरकार, एनसीडीसी की गतिविधियों के वार्षिक कार्यक्रम के अनुमोदन, वित्तीय उपलब्धियों की मासिक समीक्षा, प्रबंधन बोर्ड और महापरिषद के माध्यम से नियंत्रण, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा और भारत की संसद के समक्ष वार्षिक खातों और वार्षिक रिपोर्ट रखे जाने के माध्यम से एनसीडीसी योजनाओं जैसे कि सहकार - 22 के तहत वित्तीय संवितरण की निगरानी करती है। यह एनसीडीसी की विभिन्न योजनाओं जैसे कि सहकार – 22 के कार्यान्वयन में प्रभावकारिता सुनिश्चित करता है।

*****

अनुबंध 1

क. <u>प्राथमिक सहकारी समितियों को पारदर्शी और आर्थिक रूप से जीवंत बनाना (14 पहलें)</u>

1. **पैक्सों को बहु-उद्देशीय, बहु-आयामी और पारदर्शी संस्थान बनाने के लिए आदर्श उपविधियां:** पैक्स को 25 से अधिक व्यवसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम बनाने हेतु आदर्श उपविधियों को तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित राज्य सहकारिता अधिनियम के अनुसार अपनाने हेतु परिचालित की गईं । आदर्श उपविधियां को 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है।
2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सशक्तिकरण:** 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय से 63,000 पैक्सों को एक ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया की शुरुवात की गई है।
3. **अनावरित पंचायतों में नए बहुउद्देशीयपैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां:** आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को शामिल करते हुए 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियां गठित करने की एक योजना अनुमोदित की गई है।
4. **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्नभंडारण योजना:** पैक्स स्तर पर अन्नभंडारण के लिए गोदामों और अन्य कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
5. **ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच हेतु कॉमन सेवा केन्द्र (CSCs) के रूप में पैक्स:** 17,000 से अधिक पैक्सों को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने, ई-सेवाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में आनबोर्ड किया गया।
6. **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन:** ऐसे प्रखंडों में जहां किसान उत्पादक संघों का गठन नहीं हुआ है या ऐसे प्रखंड जो किसी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, में 1,100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठनों के गठन की अनुमति दी गई ।
7. **पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आवंटन में प्राथमिकता:** पैक्स को खुदरा पेट्रोल/ डीज़ल आउटलेटों के आवंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC2) में शामिल किया गया है । थोक पेट्रोल पम्प लाइसेंस वाले मौजूदा पैक्सों को खुदरा आउटलेटों में परिवर्तित होने की अनुमति दी गई ।

8. **अपने कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप**: पैक्सों को अब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई।

9. **ग्रामीण स्तर पर जेनरिक दवाइयों की सुगम पहुंच के लिए जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**: पैक्सों को अतिरिक्त आय सृजन हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र चलाने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।

10. **उर्वरक वितरण हेतु प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK) के रूप में पैक्स:**देश में किसानों को उर्वरक और संबंधित सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्सों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) चलाने के लिए अनुमति दी गई।

11. **ऊर्जा सुरक्षा हेतु पैक्स स्तर पर PM-KUSUM योजना का अभिसरण:**पैक्स से जुड़े किसान सौर- कृषि जल पंप के उपयोग को अपना कर अपने खेतों में फोटोवोल्टेक मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं ।

12. **पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जल आपूर्ति (PWS) के लिए प्रचालन व रखरखाव (O&M) का कार्य किया जाना:** पैक्सों को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण नल जल आपूर्ति (PWS) के लिए प्रचालन और रखरखाव कार्य की अनुमति दी गई ।

13. **डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो-ATMs से बैंक मित्र सहकारी समितियां:** सहकारी बैंकों द्वारा माइक्रो-ATMs अब सहकारी समितियों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, पैक्सों को दिए जा सकते हैं ।

14. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड**: तुलनात्मक रूप से निम्न ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा सकता है ।

ख. <u>शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों का सशक्तीकरण (9 पहलें)</u>

15. शहरी सहकारी बैंकों को अपने कारोबार में विस्तार के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है।

16. शहरी सहकारी बैंकों को आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं देने की अनुमति दी गई है ।

17. शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों के वन-टाइम निपटान की अनुमति दी गई है ।

18. शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए प्राथमिक सेक्टर ऋण (PSL) लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा बढ़ाई गई ।

19. शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित इंटरएक्शन हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति ।

20. ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दुगुनी से अधिक की गई ।

21. ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा अब वाणिज्यिक रीयल एस्टेट/रिहाइशी आवासन सेक्टर को ऋण दिए जा सकेंगे, जिससे उनके कारोबार का विविधीकरण होगा ।

22. 'आधार समर्थित भुगतान प्रणाली' (AePS) में सहकारी बैंकों को ऑनबोर्ड करने के लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है ।

23. ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए CGTMSE योजना में सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के रूप में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अधिसूचित किया गया ।

ग. <u>अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत (6 पहलें)</u>

24. ऐसी सहकारी समितियां जिनकी आय 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच है, के अधिभार को 12% से घटाकर 7% किया गया ।

25. सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर-दर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया ।

26. सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत एक स्पष्टीकरण जारी किया गया ।

27. 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों की मौजूदा 30% की कर-दर एवं अधिशेष को कम करके 15% किया गया है ।

28. पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंको (PCARDBs) द्वारा नकद में जमा व ऋण की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया ।

29. सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) किए बिना, नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया ।

घ. <u>सहकारी चीनी मिलों को पुन:सक्रिय करना (4 पहलें)</u>

30. **सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत**: सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य के सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा ।

31. **सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान**: मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व की अवधि के लिए सहकारी समितियों को गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों पर 10,000 करोड़ रुपए की राहत के साथ, व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति दी गई है ।

32. **सहकारी चीनी मिलों के सशक्तीकरण के लिए एनसीडीसी द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना का शुभारंभ**: इस योजना के द्वारा एथनॉल संयंत्र स्थापित करने या कोजेनरेशन संयंत्र लगाने या कार्यशील पूंजी के लिए अथवा तीनो कार्यों के लिए ऋण देने की अनुमति दी गई है ।

33. **सहकारी चीनी मिलों को एथनॉल की खरीद में प्राथमिकता**: एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP) के तहत भारत सरकार द्वारा एथनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप बनाया गया है ।

ङ. <u>राष्ट्रीय स्तर पर तीन नयीबहुराज्य समितियाँ (3 पहलें)</u>

34. **प्रमाणित बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति**: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत शीर्ष स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की गई है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगी ।

35. **जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी ऑर्गैनिक समिति**: प्रमाणित एवं प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत शीर्ष स्तर की नई बहुराज्य सहकारी ऑर्गैनिक सोसाइटी की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गई है ।

36. **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति**: सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत शीर्ष स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गयी ।

च. <u>सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण (3 पहलें)</u>

37. **विश्व के सबसे बड़े सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना :**सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षित जन शक्ति की सतत और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय ।

38. **सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नई योजना**: सहकारी आंदोलन को सशक्त करने, VAMNICOM, NCCT और JCTC की फैकल्टी का क्षमता निर्माण, सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना, इत्यादि।

39. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता संवर्द्धन:** एनसीसीटी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,287 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और लगभग 2,01,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया ।

छ. <u>'सुगम व्यवसाय' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग (2 पहलें)</u>

40. **केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए कम्प्यूटरीकरण:**बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल परितंत्र तैयार करने तथा आवेदनों और सेवा अनुरोधों पर समयबद्ध ढंग से निपटान हेतु निर्णय लिया गया है ।

41. **राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों (RCSs) के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की योजना:** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि एवं पारदर्शी कागज-रहित कार्यप्रणाली के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण ।

ज. <u>अन्यपहलें (7 पहलें)</u>

42. **प्रमाणित और अद्यतित डाटा भंडार के लिए नयी राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस:**हितधारकों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सुविधा के लिए देश में सहकारी समितियों का एक डाटाबेस तैयार करना ।

43. **नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का निर्माण**: 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना की प्राप्ति के लिए एक समर्थकारीपरितंत्र के सृजन हेतु नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने के लिए देश भर के 49 विशेषज्ञों और हितधारकों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई।

44. **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022:** बहुराज्य सहकारी समितियों में 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने, शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने के लिए संसद में विधेयक पुर:स्थापित किया गया ।

45. **जेमपोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में शामिल करना**: सहकारी समितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होकर किफायती व अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 40 लाख विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु सक्षम बना दिया गया है।

46. **कार्यक्षेत्र व पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार**: एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मत्स्य पालन के लिए 'नील सहकार ' की नई योजनाएं आरंभ की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी ने 41,024 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया।

47. **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण:**दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सशक्त बनाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना का निर्णय लिया गया है ।

48. **सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड:**सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को उनकी समुचित पहचान और उनकी जमाराशियों एवं दावों के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर पारदर्शी ढंग से भुगतान के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ।

******